

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
९वा तल, 'बी' विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या : **263**
दिनांक : **23-मार्च 2018**
प्रश्नकर्ता का नाम : **श्री अजय दत्त एवं श्री महेंदर गोयल**

क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :-

प्रश्न	उत्तर
क) विभाग को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से वाई फाई हॉटस्पॉट बनाने का निर्देश किस तिथि को प्राप्त हुआ था;	माननीय मुख्यमंत्री जी के आफिस से प्राप्त एक बैठक (२०-मई-२०१६) की मिनट्स के अनुसार वाई फाई के टेंडर करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद एक्सपर्ट पैनल की कमेटी ने २१-जून-२०१६ को निर्णय लिया की वाई-फाई को केवल छोटे स्तर पर ट्रांस यमुना में १००० हॉटस्पॉट के साथ लागू किया जाये। सूचना विभाग ने एक आर एफ पी १००० हॉटस्पॉट के साथ बनाकर वित्त, योजना व कानून विभागों, को कैबिनेट नोट के साथ भेजी थी। इसके बाद समय-समय पर उच्च स्तर पर परामर्श हुआ। हालांकि तकनीकी मापदंडों को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इस संदर्भ में तकनीकी मानदंडों को परिभाषित करने के लिए 1-फरवरी-२०१८ को सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।
ख) आईटी विभाग द्वारा वर्ष २०१२ से अब तक कुल कितने वाईफाई हॉटस्पॉट बनाये गए, वर्षवार व स्थानवार (जहां वे बनाये गए हैं) सम्पूर्ण विवरण क्या है;	कोई नहीं।
ग) वर्ष २०१२ से जिन विशिष्ट उपयोगकर्ताओं ने इन हॉटस्पॉट का प्रयोग किया है, उनकी वर्षवार संख्या क्या है;	उपरोक्त उत्तर (ख) के सन्दर्भ में लागू नहीं है।
घ) यदि नहीं, तो उन अधिकारियों का नाम व पदनाम क्या हैं जिन्होंने इस परियोजना को लागू किया, और	वाई-फाई प्रोजेक्ट से संबंधित तकनीकी मानदंडों को अंतिम रूप देने के लिए 1-फरवरी-२०१८ को माननीय मंत्री (सूचना प्रौद्योगिकी) की निर्देश पर एक तकनीकी समिति गठित की गई है। यह विषय अभी विचाराधीन है इसलिए यह प्रश्न लागू नहीं है।
च) क्या सचिव आईटी ने सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की?	उपरोक्त उत्तर (घ) के सन्दर्भ में लागू नहीं है।

(संजय कुमार सूर्या)
उप सचिव (आईटी)